the 26th of November, 1994. This decision or this recommendation is now being processed in the Government.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापती महोदय, भारत में राष्ट्रीय वेतन के संबंध में क्या सरकार एक राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करेगी तथा वेतन संबंधी अन्य समस्याओं के लिए बार-बार यह मांग उठाई जाती रही है कि क्या सरकार कोई राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करेगी ?

सभापति महोदय, चौथे राष्ट्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश भी की थी और सरकार से यह जानना चाहा था कि क्या हमारे देश में ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स है जो आम तौर पर सरकारी कर्मचारियो के वेतन के संबंध में कोई अध्ययन करते हों ? हमेशा यह होता है कि जब हमारा वेतन आयोग कोई सिफारिश करता है तो उसे शून्य से शुरू करना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है और इस संदर्भ में और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी, यह मेरे क्वेश्चन का पार्ट "ए" है कि क्या कोई राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करने के लिए वे विचार कर रहे हैं या नहीं ? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा पार्ट "बी" यह है सभापति महोदय कि आज जब हमारे खासकर वित्त मंत्री उदारीकरण की नीति की ओर बढ़ रहे है, मैं उनसे यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि पांचवे वेतन आयोग ने जो अपनी प्रश्नावली तैयार की है अपने काम के लिए, उस प्रश्नावली में क्या उन्होंने ऐसे प्रश्न भी तैयार किए है जिनकी पेरिफरी, जिनकी परिधि सिर्फ कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं है बल्कि उससे कहीं और जाकर सरकार को यह उपाय सुझा रही है कि मजदूरों की, कर्मचारियों की छंटाई कैसे की जा सकती है ? तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है ? और अगर नही तो पांचवे वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या हैं, उसका खुलासा यहां करें ।

SHRI MANMOHAN SINGH: Sir, the terms of the Fifth Pay Commission have already been published, but for the benefit of hon. Members I can read it out again, if you so desire.

MR. CHAIRMAN: You can place it on the Table.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: But what about the first part of my question, Sir.

SHRI MANMOHAN SINGH: With regard to the first part, about a National Wages and Incomes Policy, I think this has been aired for the last 45 years in our country. Also, I would say that outside the former command economy of Eastern Europe, nowhere else this sort of national wages and incomes policies have been found to be viable except in a period of emergency or war. There are practical difficulties of implementing such a decision. When the former Janata Dal Government was in power in 1977—1979, they thought of appointing a committee. Mr. Bothalingam was appointed to go into that question. I do not want to go into what happened subsequently. The Government itself found that those things were not easy to implement ... *(Interruptions)* ...

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी यह बात कही है कि जे०सी० एम० बहुत अच्छा काम कर रही है और इम्प्लॉइज बहुत खुश हैं और हमारे उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं । मैं समझता हूं कि यह हाऊस को और देश को मिसलीड किया जा रहा है । कर्मचारी बहुत दुखी हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है । इस वक्त इतनी महंगाई बढ़ रही है और ये फाइनेन्स मिनिस्टर के बार-बार पूरा एसर्ट करने के बाद भी अब टू डिजिट्स में आ गई है करीब-करीब । साढ़े नौ, दस प्रतिशत महंगाई बढ़ गई है । दालें बीस रुपये से कम कोई मिल नहीं रही है । यहाँ पर हर आदमी की कमर टूट गई है और ऐसी स्थिति मे जो डीयरनेस एलाउंस मिलता है उससे परचेजिंग पावर कम होती जाती है । मंहगाई का 75 परसेंट, 50 परसेंट आप उसको देते हैं और बहुत सी चीजें तो मिल ही नहीं पाती हैं । ऐसी हालत में जो आपने कहा है कि इंटेरिम रिलीफ सेकेंड किस्त देने के बारे में, आप उसका फौरी तौर पर फैसला क्यों नहीं करते ? सौ रुपये के इंटेरिम रिलीफ से सरकारी कर्मचारी बहुत खराब स्थिति में है और खासकर, क्लास थ्री और क्लास फोर के, उनके लिए जिंदगी चलाना ही इम्पॉसिबल हो रहा है । घर के कौन से खर्च काटें ?

MR. CHAIRMAN: Please sum up.

श्री विजयकुमार मल्होत्रा : मैं यही पूछना चाहता हूं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने की जो बात है, उसको इतना डिले क्यों कर रहे हैं, उन पर क्यों छोड़ रहे हैं ? आज सीधे तौर पर कर्मचारियों ने तो कहा है कि फौरन दी जानी चाहिए जे०सी०एम में । तो आप उसको फौरन दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

SHRI MANMOHAN SINGH: Sir, as I have already mentioned, in terms of the agreement reached in the JCM, we are processing this recommendation to forward it to the Pay Commission for appropriate action.

भारतीय कालीनों का निर्यात

*182. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को कालीनों का कितना-कितना निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस मंदी से उबरने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को भारतीय कालीनों के मूल्य के रूप में किए गए निर्यात निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)	(मिलियन अमरीकी डालर)
1991-92 .	847.61	343.83
1992-93 .	1043.19	365.39
1993-94 (अनन्तिम) .	1390.00	443.18

भारतीय कालीन मुख्यतया जर्मनी, अमरीका, स्विटजरलैंड, इटली, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा सऊदी अरेबिया को निर्यात किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों से कालीनों के निर्यात में वृद्धि हुई है, इसलिए निर्यात में कमी आने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : सभापति जी, मंत्री महोदय ने रुपयों के टर्म्स में बढ़ोत्तरी-घटोत्तरी की बात की है । क्या वह इसके साथ कितनी संख्या इन तीनों वर्षों में बढ़ गयी और क्या यह संख्या घट रही है या नहीं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अब ईरान और चीन में बने कालीन कंपीटीटिव प्राइस पर बेचे जा रहे हैं कंपरिटिवली हिन्दुस्थान के कारपेट्स की कीमत के मुकाबले में 30 परसेंट, 40 परसेंट कम भाव उनका रहता है ? क्या इसी वजह से जर्मनी जो हमारे यहां के विशेषकर टफ्टेड कालीन मंगाया करता था और आज सारी दुनिया में जिसकी मांग बढ़ी है, सारे विश्व की टोटल डिमांड का केवल 20 परसेंट हमारा खपता है ? जब यह सब बातें हमारे सामने आ रही हैं, तो केवल रुपये में और डॉलर में इतनी कीमत है, यह आंकड़े देकर क्या हम अपने देश के कालीन निर्माताओं को या अपने देश की अर्थ व्यवस्था को धोखे में नहीं डाल रहे हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति महोदय, मैंने जिस तरह से जवाब दिया है, वह आंकड़ों में दिया है और वह इसलिए क्योंकि क्वेश्चन किया गया आंकड़ों में । लास्ट ईयर से अब तक सभापति महोदय, 30 परसेंट इन्क्रीज ऑफ एक्सपोर्ट कारपेट्स का हुआ है ।

श्री सुंदर सिंह भंडारी : क्वांटिटी मांगी थी ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : सदस्य महोदय ने जो सवाल किया है, सारे का सारा उसके अंदर इनक्लूड है । जो पर्टिकुलर कारपेट्स के बारे में आपने सवाल किया है, अगर आप आइटम वाइज कि कौन-कौन से आइटम्स जा रहे हैं, यह सवाल करते तो मैं पूरा ऑनरेबल मेंबर को बता सकता था । एक्सपोर्ट के बारे में, कारपेट्स के एक्सपोर्ट के बारे में जो सवाल किया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाऊस भी जानता है, ऑनरेबल मेंबर भी जानते हैं, हिन्दुस्तान के ही लोगों द्वारा बाहर के देशों में जाकर ऐंटी प्रापोगैंडा शुरू करने के बावजूद हमारे हिन्दुस्तान के एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और टैक्सटाइल मिनिस्टरी ने उसका क्लैरीफिकेशन देकर हमारे एक्सपोर्ट को घटने नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए, वह पूरी तरह से कर रहे हैं । यही मैं ऑनरेबल मेंबर को इनफॉरमेशन देना चाहता हूं । इसके साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी ऑनरेबल मेंबर करने वाले हैं । मुझे मालूम है कि क्या क्वेश्चन है ।... (**व्यवधान**).... मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं ।... (**व्यवधान**)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आप जवाब पहले दे दीजिए तो मैं तीसरा सवाल कर दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : प्रोपेगंडा क्या है वह तो बतलाइए ।... (**व्यवधान**) ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे बता रखा है कि नहीं ।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रेणुका चौधरी : मंत्री जी को कहने दीजिए कि वह कौनसा प्रोपेगंडा है और सरकार ने उसके बारे में क्या किया है । We want to know. This is a serious allegation.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा सेंटर है । कलकत्ता से पहले एक्सपोर्ट होता था । अब आपने कलकत्ता के बजाय मुंबई डाइवर्ट कर दिया है । मदद देने के बजाय उनका कास्ट आफ ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ा दिया । जुलाई के अंदर इस संबंध में आप कुछ फैसले लेने वाले थे कि फिर से कलकत्ता में ही ठीक कंडीशन पैदा की जायें और वहां से एक्सपोर्ट शुरू हो । यह मामला अभी कहां तक पहुंचा है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति महोदय, यह सवाल में तो नहीं है, मगर मैं आनरेबल मेंबर को यह बताना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... मुंबई और कलकत्ता की बात इसमें नहीं थी। इस मामले की जरूर मैं जांच करवाऊंगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल की क्या डिमांड्स हैं और वह क्या चाहते हैं और एक्सपोर्ट को आसान करने के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद कर सकते हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जुलाई में क्या फैसला हुआ था ? जुलाई मे इस संबंध में बैठक होने वाली थी कि फिर से कलकत्ता से एक्सपोर्ट होने लगे। इसके बारे में क्या फैसला हुआ ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : इसकी इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है मैं यह सूचना आनरेबल मेंबर को भेज दूंगा।

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Traders' orgainsations and individuals from other countries have objected to the import of Indian carpets. Carpet industry is a cottage industry which uses cotton yarn and also woollen yarn. Is it a fact that the Government has already prohibited the employment of child labour in the manufacture of cotton carpets and also woollen carpets? If so, what are its effects? The industry does not merely provide a source of living to the child labour but it also provides training facilities in the art. They have too depend on the industry to take out their livelihood. What has the Government done to help the displaced child labour so that he may learn the art and also remain employed in the industries.

SHRI G. VENKAT SWAMY : Sir, we got a study conducted by the NCAER which was completed in October, 1994. It shows that the child labour in the carpet industry has come down from 3.6 per cent in 1992 to 2.7 per cent at present.

सभापति जी, इस सवाल को लेकर कुछ संस्थाएं बाहर के देशों में प्रोपेगंडा कर रही हैं कि ये बच्चों के खून से बनाए हुए कारपेट्स हैं और इसको न खरीदें। सभापति महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर बाहर के देश सही मायनों में इसकी जांच करके प्रोपेगंडा करते। वे बड़ी-बड़ी फिल्में बनाकर बताते हैं यहां चाइल्ड लेबर के खून से कारपेट्स बनाये जा रहे हैं। हमारी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसील कारपोरेशन ने और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी काफी लोगों को बुलाया है और इस बारे में बताया है। सभापति महोदय, हमने अभी तक जो इंसपैक्शन किया है वह 13809 का किया है। हमने 2800 का प्रोसीक्युशन किया है। नम्बर आफ चिल्ड्रन 4909 हैं जो गलत एम्प्लाइड है मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइल्ड लेबर के बारे में मिनिस्ट्री आफ लेबर और मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल ने जो कदम उठाए हैं उस प्रोपेगंडा के खिलाफ, जहां तक चाइल्ड लेबर जो हमारे हिन्दुस्तान में इस वक्त है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं —

as a result of the welfare measures under taken by the Government, the literacy rate among the artisans has gone up from 35 per cent to 59 per cent.

उन लोगों की वेलफेयर स्कीम ही नहीं बल्कि एजुकेशन मे भी हम काफी दे रहे है। मिनिस्ट्री आफ लेबर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल की तरफ से इस लिहाज से हमने काफी पाबंदी लगाने के बाद वेलफेयर और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से हमारे यहां यह परसेंटेज घटा है। सभापति जी, हाउस को मैं यह बताना चाहता हूं कि चाइल्ड लेबर का जो परसेंटेज हमारे यहां है, जरा आंख खोलकर देखें तो जो दूसरे बड़े-बड़े डेवलेप्ड कंट्रीज है उन देशों में हमारे परसेंटेज से ज्यादा है। (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI : America is pressuring us. Are you going to succumb to the pressures of America?

श्री जी० वेंकटस्वामी : अमरीका और जर्मनी में जो हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा है, उसके मुकाबले में हम लोगों को जो जवाब देना था, वह हम दे रहे हैं। यही नहीं, अमरीकी कांग्रेस में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी वह पेंडिंग है।

श्री जी० वेंकटस्वामी : पेंडिंग नहीं है बल्कि मैंने सुना है कि उसको बिदड्रा किया गया है और कुछ मोडिफिकेशंस के साथ फिर लाने वाले है मगर मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका और हमारे कंट्री का अगर मुकाबला चाइल्ड लेबर के बारे में किया जाए तो उनके मुकाबले में हमारे पास चाइल्ड लेबरर्ज कम है। इतना मैं कह सकता हूं कि उनसे ज्यादा हमारे पास नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Dr. Murli Manohar Joshi...*(Interruptions)* Mr. Kotaiah, I have called the next speaker. Kindly sit down. ...*(Interruptions)* The Minister has given a very comprehensive reply ... *(Interruptions)* will you kindly sit down? *(Interruptions)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा इस संबंध में कि जो हमारे भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, हमारे कालीन उद्योग के विरोध मे जो वीडियो फिल्म बनाई गई और जिस तरह के प्रदर्शन जर्मनी

और अमरीका में उन शो-रूम्स के सामने किये गये जहां हमारे भारतीय कालीन रखे हुए थे, वह प्रदर्शन करने वाले भी हमारे भारतवासी थे, क्या आपने उनके पासपोर्ट जब्त किये क्या आपने उनको यह प्रोपेगंडा करने से रोका ? क्या आपने इस बात की अच्छी तरह से जांच की कि इन लोगों को किसी विदेशी व्यापारी ने अपने भारत के कालीन उद्योग के खिलाफ प्रोपेगंडा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया है ? इस तरह से जो राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां हो रही हैं जिससे एक्सपोर्ट भी घटता है और जिससे हमारे तमाम इलाकों में इम्प्लायमेंट भी घटता है, इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया है ? दूसरा यह कि मुझे मिर्ज़ापुर और भदोही के बहुत से प्रतिनिधियों ने मिल कर बताया है कि वहां आपने हैंडलूम पर फैक्टरी एक्ट लागू कर दिया है जो ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री में, जो स्केटर्ड इंडस्ट्रीज में लागू नहीं होना चाहिये । कारपेट किसी एक जगह बैठ कर नहीं बनते हैं । यह भदोही से जबलपुर तक बिखरे हुए हैं और देश के तमाम इलाकों में बिखरे हुए हैं । आपने इसको डेंजरस इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है । ऐसी हालत में इन सब लोगों के लिए कारपेट एक्सपोर्ट बहुत महंगा होता जा रहा है । जो कंडीशंस आप उन पर लागू करते हैं, उन कंडीशंस के कारण कारपेट उत्पादन महंगा होता जा रहा है जिसके कारण हम कंपीटीटिव नहीं हो पा रहे हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि कारपेट उद्योग जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ाया, बहुत बड़ा इम्पलायमेंट जेनरेट किया, उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे ? इस प्रोपेगंडा को रोकने के लिए आप क्या करेंगे ? तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको इनके प्रतिनिधिमंडलों ने जो आवेदन दिये हैं, उन पर आपने क्या फैसले लिये हैं ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, यह सही है कि हमारे हिंदुस्तानी, हमारे देश के कारपेट्स के खिलाफ भयंकर प्रोपेगंडा कर रहे हैं । मैंने कई बार अपने आफिशियल्ज से बातचीत की है कि हिन्दुस्तानी होते हुए हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए । इस पर सोच-विचार हो रहा है । जैसे ही यह तय हो जाएगा कि क्या एक्शन लेना चाहिये, मैं हाऊस को आइंदा बताऊंगा ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है कि आपके अफसरों में भी, बहुत से लोगों ने, उन प्रोपेगंडा करने वालों को प्रोटेक्ट किया है और जब-जब इनके खिलाफ बात उठाई जाती है, प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ, तब आपके अधिकारियों में से ही बहुत से इस प्रोपेगंडा का समर्थन करते हैं । आप इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : चाइल्ड लेबर के बारे में हमारा, गवर्नमेंट आफ इंडिया और इस सभा का एक उसूल है, एक प्रोग्राम है । आई०एल०ओ० के डायरेक्शन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना गुनाह है । 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम लेने वालों के खिलाफ हमने एक्शन लेने की पूरी कोशिश की है । इस मामले में हर इंडस्ट्री ने हमारे साथ को-आपरेट किया है । कोई ऐसी हमारी शिकायत नहीं थी । उन्होंने आफर किया अपने आपको कि हम तयार हैं और अगर 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम लिया जा रहा है तो आप एक्शन लीजिए । हमने वही एक्शन लिया है जो नम्बर आपको पढ़कर सुनाया । सभापती जी मैं आनरेबुल मेंबर को यह बताना चाहता हूं कि यह बड़ा क्राइम है—बच्चों से काम लेना, छोटे बच्चों से । इसको तो मानना ही है । इनके खिलाफ एक्शन लेना हमारा फर्ज हो जाता है अदरवाइज 40—60 साल जीने वाले बच्चों से आप इस उम्र से काम लेने लगेंगे तो एकार्डिंग टु आई०एल०ओ० रिपोर्ट और एज ए लेबर लीडर मैं बोल सकता हूं कि यह क्रिमिनल क्राइम है—जो भी काम लेता है । मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मेरा कहना यह है कि आपके अधिकारी उसका समर्थन कर रहे हैं... **(व्यवधान)** इस पर आपने क्या कार्यवाही की ।

डा० बापू कालदाते : यह तो ठीक है । नीति के हद तक हम उससे बिल्कुल सहमत हैं । लेकिन इसमें क्या कार्यवाही की... **(व्यवधान)** कुछ उसका मतलब ही नहीं रहा । दूसरा यह कि

What action has the Government taken? The problem is this. The Minister has not said anything about this.

डा० मुरली मनोहर जोशी : दूसरा यह कि आपने यह कानून, फैक्ट्री एक्ट उन पर लागू किए है जहां लागू नहीं होते है ।

That is the question. The Minister is not answering this question.

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी...

डा० मुरली मनोहर जोशी : वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो सही है कि सरकार इधर चाइल्ड लेबर के बारे में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है । यह भी सही है कि हम सभी इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि हमारे विदेश व्यापार में सोशल क्लाज लगाया जाए । इस पर करीब

करीब राष्ट्रीय सहमति है। हम लोगोंने कहा है। लेकिन---मंत्री महोदय जरा हमारी बात पर ध्यान दें---यह भी सही है कि चाइल्ड लेबर होता है और होता ऐसे है कि लोग फैक्ट्री से सामान ले लेते है और घर में बच्चों से काम करवा लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन होता है। माननीय सदस्य ने कहा है कि फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तो कौन कानून लागू होगा कि बच्चों को खाना मिलेगा, बच्चा पढने के लिए जाएगा या रोक कैसे लगायी जाएगी ? इसका अभी तक आपके पास कोई प्रोग्राम तैयार नहीं है। क्योंकि दिक्कत यह हो रही है कि बच्चों को कोई आल्टरनेटिव, लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है जिसके चलते लोग मजबूर होकर घरों में काम करते है और इनको छिपाते है। क्या फायदा कि आप इसको छिपाना चाहते हैं। हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहा है। जहां आप कारपेट भेजते है, हमारी सूचना के मुताबिक उन देशों में से जर्मनी ने कुछ पैसा आफर किया है कि इन बच्चों को रिहैबिलीटेट करने के लिए। यह सच है या नहीं ? दूसरा, जो लोग काम लेते हैं क्या उन पर कोई ऐसा सेस नहीं बैठा सकते हैं कि इन बच्चों के रिहैबिलीटेशन का या अन्य इंतजाम किया जा सके और ये काम न करें तथा पढ़ने या अन्य जो मानवोचित कर्तव्य है उनमें लग सकें। क्या सरकार ऐसे किसी सेस का प्रावधान करेगी---उन लोगों से बात करके---कि ऐसा वे लोग स्वीकार करें ताकि हमारे देश के बच्चों को कोई सुविधा दी जा सकें ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, आनरेबुल मेम्बर का सवाल सही है। जर्मनी के एक वालंटरी आर्गेनाइजेशन ने आफर किया था। मगर साथ ही साथ यह कंडीशन भी लगाई कि आप यह मुद्रा डालकर भेजिए कि हम बहुत चाइल्ड लेबर से काम नहीं ले रहे हैं। यह मुद्रा डालें। अगर इसको मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि सारी कंट्रीज बहुत अच्छी है, हम बहुत बुरे हैं। इसलिए हम मुद्रा डालकर भेजें। इसलिए हमने इसको माना नहीं। मैंने बताया कि परसेंटेज आफ चाइल्ड लेबर में कमी हुई है। मैं आनरेबुल मेम्बर को विस्वास दिलाता हूं कि सारी की सारी गवर्नमेंट आफ इंडिया---मिनिस्ट्री आफ लेबर, मिनिस्ट्री आफ टेक्साटाइल और स्टेट गवर्नमेंट्स, सब मिलकर उनके वेल्फेयर को उनकी पढ़ाई को तरजीह दे रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने तो सेस के लिए कहा है स्पेशल सेस फार दिस परपज, वाय आर यू नाट इंपोजिंग इट ? हम तो यह कह रहे हैं कि एक ऐसा सैस आप इंपोज कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को रीहैबिलिटेट कर सकें और असली दिक्कत तो यह है कि आपका जो कच्चा माल जाता है उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है, इसलिए इन दो बिंदुओं पर तो कहिए कि आप सैस लगाने जा रहे है या नहीं, जिससे बच्चों को री-हैबिलिटेट कर सकें ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, आनरेबल मेम्बर जो सैस के बारे में कह रहे हैं उसका तय पाया है अब अमल शुरू होगा।

श्री इकबाल सिंह : आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब से काश्मीर में टेररिज्म आया है और वहां का प्रमुख काम कालीन बनाने का है, वहां के लोग बहुत अच्छा कालीन बनाते हैं और बहार के देशों में उस कालीन की बहुत डिमांड है, लेकिन टेररिज्म की वजह से वहां से कालीन तयार होकर नहीं जा रहे हैं। क्या मंत्री जी कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं कि एक तो वहां के वर्कर्स को काम मिल जाए और दूसरा वह बिजनेस कायम रहे और फॉरेन डिमांड को पूरा किया जा सके ? अब जैसे कि पंजाब में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में वूलन कालीन बहुत पापुलर है जो कि वहां पर बनता है, लेकिन टेररिज्म की वजह से काफी साल वहां भी यह कालीन तयार नहीं हुए और फॉरेन कंट्री में इसकी डिमांड बहुत है। क्या मंत्री जी ने इसका कोई उपाय किया है कि पंजाब से या काश्मीर से जो कालीन तैयार होते हैं, उनको कैसे वहां से तैयार करके बाहर भेजा जाए ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, यह सही है कि काश्मीर में कारपेट्स प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, मगर रुका नहीं है। अभी भी चालू है और वहां का कारपेट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आनरेबल मैंबर ने जो पंजाब के बारे में सवाल किया है. उस मामले में मैं समझता हूं कि अगर वह सेपरेट क्वेश्चन दें तो मैं विस्तृत रिपोर्ट आनरेबल मेम्बर को दे सकता हूं।

*183. The Questioner [**(Shri Govindrao Adik)** was absent for answer vide Col..... infra].

Public Issues by Public Sector Banks

184. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) how many public sector banks have, in the past, gone for public issues together with details of each issue;

(b) how many more banks have approached the Government/RBI to go for public issue;

(c) the details thereof bank-wise;

(d) whether it is a fact that some of these banks are planning to charge exorbitant premium on their shares to